630

दिनांक 14.03.2016 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आहूत बैठक की कार्यवाही।

कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव (स्वास्थ्य), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2015 को परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत State Family Planning Indemnity Sub-committee की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नवत् सदस्य उपस्थित हुए:

1. जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव (स्वास्थ्य), रा0स्वा0समिति, बिहार – अध्यक्ष
2. डा0 कुमार पुरुषोत्तम सिंह निराला, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा0स्वा0समिति, बिहार – सदस्य सचिव
3. निशांत कुमार, उपनिदेशक, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार – समन्वयक
4. डा0 एस0 एन0 बागची, उपनिदेशक, प0क0, SRMNCH+A यूनिट – सदस्य

समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा

1. गोपालगंज जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 17.12.2015 को निम्नलिखित लाभार्थी की मृत्यु हुई :

   लाभार्थी का नाम– प्रियंका देवी, पति– पवन तिवारी, उम्र– 25 वर्ष, पता– C/o सुकेश पाण्डेय, चितु टोला, पोस्ट/थाना–थावे, जिला– गोपालगंज–841440

   उपरोक्त लाभार्थी को District Family Planning Indemnity Sub-committee(DFPISC) द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. सीवान जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावों के बारे में निर्णय लिया गया:
   i. श्रीमती अनिता देवी, पति–लक्ष्मण मांझी, मुहल्ला– नया बाजार, सीवान का दिनांक 24.11.2015 को सदर अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन हुआ। उक्त ऑपरेशन के पश्चात् जटिलता होने के कारण सदर अस्पताल के रोगी कल्याण समिति से उपचार हेतु राशि खर्च की गई। इसके लिए District Family Planning Indemnity Sub-committee (DFPISC) द्वारा कुल ₹25000/– रूपये रोगी कल्याण समिति को देने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि लाभार्थी के ऑपरेशन के पश्चात् जटिलता के उपचार में हुए खर्च का मूल अभिश्रव के विरूद्ध अधिकतम ₹25000/– की राशि रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल को दी जा सकती है।
   ii. श्रीमती नेहा गुप्ता, पति–राजेश कुमार, मुहल्ला–सोनार टोली, जिला–सीवान का बंध्याकरण दिनांक 03.01.2013 को हुआ था। उक्त बंध्याकरण ऑपरेशन असफल रहने के कारण District Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा उक्त लाभार्थी के दावे को अनुशंसित किया गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. मधुबनी जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावों के बारे में निर्णय लिया गया:
   i. श्रीमती विमला देवी का बंध्याकरण ऑपरेशन दिनांक 27.11.2008 को किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में श्रीमती विमला देवी पुनः गर्भवती हो गई। उक्त बंध्याकरण ऑपरेशन असफल रहने के कारण District Family Planning Indemnity Sub-committee

द्वारा उक्त लाभार्थी के दावों को अनुशंसित किया गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा अनुमोदित किया गया।

ii. श्री संतोष कुमार का दिनांक 16.03.2013 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयनगर में पुरूष नसबंदी किया गया था। पुरूष नसबंदी असफल होने के कारण District Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा उक्त लाभार्थी के दावों को अनुशंसित किया गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा अनुमोदित किया गया।

iii. श्रीमती मंजू देवी का दिनांक 16.01.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजौली में परिवार कल्याण ऑपरेशन हुआ था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में श्रीमती मंजू देवी पुनः गर्भवती हो गई। उक्त बंध्याकरण ऑपरेशन असफल रहने के कारण District Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा उक्त लाभार्थी के दावों को अनुशंसित किया गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा अनुमोदित किया गया।

4. औरंगाबाद जिला अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दावों के बारे में निर्णय लिया गयाः

i. श्रीमती गीता देवी, पति– शत्रुंजय पासवान, ग्राम– कचंनपुर, पो0– अरोरा, देव, जिला–औरंगाबाद का दिनांक 17.12.2013 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देव में बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के पश्चात् दिनांक 18.12.2013 को श्रीमती गीता देवी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् District Family Planning Indemnity Sub-committee(DFPISC) द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा अनुमोदित किया गया।

ii. **श्रीमती सवीता देवी**, पति– मिथिलेश पासवान, ग्राम– दधपी, पो0– गोह, जिला–औरंगाबाद, **श्रीमती सरीता देवी**, पति– श्यामलाल, ग्राम– गमहरी, पो0–फेसर, जिला–औरंगाबाद, **श्रीमती रेणु देवी**, पति–सुनील प्रसाद, ग्राम+पो0–अमरूत, थाना–डोभी, जिला–गया एवं **श्रीमती रीता देवी**, पति–उमेश राम, ग्राम–मुकुंद, पो0–इंटहट, थाना–रीसीयप, जिला–औरंगाबाद हेतु किये गये दावे 01 अप्रैल 2013 से पूर्व के है।

Manual for Family Planning Indemnity Scheme के पृष्ठ संख्या 7 के पारा 2 के अनुसार परिवार कल्याण ऑपरेशन से संबंधित क्षतिपूर्ति दावा 1 अप्रैल 2013 से State Programme Implementation Plan (PIPs) के तहत् अनुशंसा के आलोक में मान्य है। 1 अप्रैल 2013 के पूर्व के सभी क्षतिपूर्ति दावों को पूर्व में एकरारनामा किये गये बीमा एजेन्सी (Oriental General Insurance Company/ICICI Lombard General Insurance Company) से निष्पादित किया जाना है। अतः उक्त दावों हेतु District Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा किए गये अनुशंसा के आलोक में State Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा 1 अप्रैल 2013 के पूर्व के सभी क्षतिपूर्ति दावों को जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगबाद द्वारा पूर्व में एकरारनामा किये गये बीमा एजेन्सी से निष्पादित करने हेतु निदेशित किया जाता हैं।

5. किशनगंज जिला अन्तर्गत बहादुरगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाभार्थी राजमनी देवी, पति– सत्यनारायन दास, साकिन गुणा समेसर, रामचर प्रखण्ड बहादुरगंज, जिला– किशनगंज का

बंध्याकरण दिनांक 19.03.2009 को किया गया था। बंध्याकरण असफल होने के कारण District Quality Assurance Committee (DQAC) के अनुशंसा के आलोक में State Family Planning Indemnity Sub-committee (SFPISC) द्वारा क्षतिपूर्ति दावा को अनुमोदित किया गया है।

6. खगड़िया जिला अन्तर्गत **कारो देवी**, पति–बिपीन सहनी, ग्राम–रहीमपुर, जिला–खगड़िया, **मीना देवी**, पति–रविन्द्र सिंह, ग्राम–जलकौड़ा, जिला–खगड़िया एवं **सबाना खातुन**, पति–मो0 इरफान, ग्राम–रसौंक, जिला–खगड़िया का परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दावा हेतु 30.01.2016 को सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया के अध्यक्षता में District Family Planning Indemnity Sub-Committee की बैठक आयोजित कर सभी दावों के भुगतान की अनुशंसा State Family Planning Indemnity Sub-Committee को की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 4968 दिनांक 30.07.2015 के माध्यम से District Family Planning Indemnity Sub-Committee(DFPISC) के गठन करने हेतु निदेशित है, जिसमें जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में DFPISC का गठन किया जाना है। District Family Planning Indemnity Sub-committee की बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं होने के कारण उक्त क्षतिपूर्ति दावा को State Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया एवं निदेशित है कि एक सप्ताह के भीतर जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, DFPISC, Family Planning Indemnity Scheme के तहत् किये गये दावों को संबंधित जिलों द्वारा सभी पूर्ण कागजातों के साथ District Family Planning Indemnity Sub-committee की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में करते हुए उसकी अनुशंसा के साथ State Family Planning Indemnity Sub-committee को अनुमोदन के लिए भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. दिनांक 16.10.2015 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक संख्या 7260 दिनांक 02.11.2015 में गया जिला द्वारा प्रस्तुत परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दावों के आलोक में DFPISC द्वारा नियमानुकूल बैठक नहीं होने के कारण State Family Planning Indemnity Sub-committee द्वारा जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, DFPISC से कारण पृच्छा करते हुये कार्यवाही निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं दावों को DFPISC से अनुशंसा हेतु निर्णय लिया गया था। लगभग 4 माह बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक DFPISC की अनुशंसा के साथ संबंधित दस्तावेज अप्राप्त है, जो कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। अतः तत् के आलोक में जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, DFPISC सभी दस्तावेजों एवं DFPISC की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव SFPISC को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि किन कारणों से DFPISC की बैठक नियामनुकूल नहीं आयोजित की गई एवं क्यों नहीं इस कृत हेतु आपके एक दिन के वेतन की कटौती की जाय।

8. जहानाबाद जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 8 जनवरी 2015 को लाभार्थी श्रीमती पूनम देवी, पति– विजय दास, उम्र– 32 वर्ष, ग्राम– लखीसराय, थाना– घोसी, जिला– जहानाबाद की बंध्याकरण ऑपरेशन के पश्चात् मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में District Family Planning Indemnity Sub-committee(DFPISC) द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु अनुमोदन के लिए अग्रसारित कार्यवाही में विस्तृत कागजात के अभाव के कारण उक्त लाभार्थी को अनुमोदन के योग्य नहीं पाया गया एवं दिनांक 16.10.2015 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक संख्या 7260 दिनांक 02.11.2015 के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को उक्त निर्णय से अवगत कराते हुए अगली बैठक के पहले सारे कागजातों को नियमानुकूल भेजने का

निदेश किया गया था। लगभग 4 माह बीत जाने के उपरान्त अभी तक सम्पूर्ण कागजातों एवं DFPISC की अनुशंसा अप्राप्त है। तत् के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद को एक सप्ताह के भीतर सारे कागजातों को नियमानुकूल भेजने हेतु SFPISC द्वारा पुनः निदेश किया गया ।

9. बैठक के अन्त में सभी जिलों को परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत Outstanding दावों को 28 मार्च तक सभी संबंधित दस्तावेजों एवं DFPISC की अनुशंसा के साथ SFPISC को भेजना सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाता है।

(निशांत कुमार)
उपनिदेशक, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार

(डा0 कुमार पुरूषोत्तम सिंह निराला)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा0स्वा0समिति, बिहार

(डा0 एस0 एन0 बागची)
DD-FP-, SRMNCH+A यूनिट

21/3

(जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0,)
कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव (स्वास्थ्य),
रा0स्वा0समिति, बिहार

ज्ञापांक: 2114 पटना, दिनांक: 21/3/16

प्रतिलिपि–

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ समर्पित।
- सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक (वित्त), राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (Quality Assurance) एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

(जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0,)
कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव(स्वास्थ्य),
रा0स्वा0समिति, बिहार